रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 1987/श्रावण 29, 1909
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 1987/SRAVANA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

अधिसूचना

का. आ. 783 —भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82वां) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस. ए. आर. अन्सारी को 9 जुलाई, 1987 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक भारतीय अन्तर्देशीय मार्ग प्राधिकरण का सदस्य (तकनीकी) नियुक्त करती है।

[फा. सं. 43/आई. डब्ल्यू. टी. (1)/86-एस डब्ल्यू]

सी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 13th August, 1987

NOTIFICATION

S.O. 783(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri M. A. R. Ansari, Member (Technical) of the Inland Waterways Authority of India with effect from the forenoon of 9th July, 1987 until further orders.

[F. No. 43-IWT(1)/86-N.W.]

B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987